...लोक अदालत कैम्प मूंगड़ा, तहसील पचपदरा

...(S.D.O.) बालोतरा जिला बाड़मेर पीठासीन अधिकारी श्री उदयभानु चारण, आर.ए.एस

...	बनाम	विप्रार्थीगण
...जी कौम भील साकिन ...पदरा जिला बाड़मेर।		1.मनीलाल पुत्र हरजीरामजी कौम भील साकिन मूंगडा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।
...णछोड़जी कौम भील साकिन ...पचपदरा जिला बाड़मेर।		2.भीकाराम पुत्र मेनारामजी कौम भील साकिन मूंगडा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।
...णछोड़जी कौम भील साकिन मूंगडा ...पचपदरा जिला बाड़मेर।		3.जगाराम पुत्र खंगारजी कौम भील साकिन मूंगडा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।
...रणछोड़जी कौम भील साकिन मूंगडा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।		4.पुखराज पुत्र मिश्रीमलजी कौम मेघवाल साकिन मूंगडा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर एल आर एक्ट 111,128

आदेश **दिनांक :— 16.05.2016**

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत सरहद मौजा मूंगडा पटवार हल्का मूंगडा तहसील पचपदरा के खेत खसरा नं0 1746/482 रकबा 05.18बीघा व खसरा नं0 1743/1313 रकबा 08.14 बीघा भूमि स्थित है। विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है , प्रार्थीगण के खेत के पडोसी में स्थित होने के कारण अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, जिनकी ओर से आज राजस्व लोक अदालत मे कोई भी उपस्थित नही आया ,प्रार्थी स्वयं उपस्थित प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने हेतु भूमापक कर्ता को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । तहरीर जारी हो। भू– मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश कोर्ट केम्प मे सुनाया गया ।

(S.D.O.) बालोतरा

(उदयभानु चारण)

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner